

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस., सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 71/2025

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- मनोहरसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- रतनसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- सुरेशसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- हिम्मतसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- गीताबाई पुत्री स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- खेमणीबाई पत्नी चतरभुज मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी

—वादीगण

बनाम

- 1- अर्जुनसिंह पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- केसरसिंह पुत्र नाराणसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- गोतमसिंह पुत्र नाराण मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- चान्दीबाई पत्नी डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- प्रेमसिंह पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भेरूसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- भीमसिंह पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 8- शंकर पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 9- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा अणदों का खेड़ा पटवार हल्का बड़वल की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- मनोहरसिंह पिता शंकरसिंह 1/12 रतनसिंह, शंकरसिंह 1/12 सुरेशसिंह, शंकरसिंह 1/12 हिम्मतसिंह पिता शंकरसिंह 1/12 गीताबाई, शंकरसिंह 1/12 लक्ष्मीबाई, शंकरसिंह 1/12 खेमणीबाई पत्नी चतरभूज 1/2 मीणा) सा. देह. खातेदार रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा
52	0.220
45/1	0.210
46/1	0.070
56/1	0.090
103/1	0.085
194/1	0.035

कुल 6 0.710 हैक्टेयर

- 2- अर्जुनसिंह 1/24 प्रेमसिंह 1/24 भीमसिंह 1/24 शंकरसिंह 1/24 पिता डालूसिंह भेरूसिंह पिता डालूसिंह 1/24 चान्दीबाई पत्नी डालूसिंह 1/24 केसरसिंह 1/4 गोतमसिंह 1/4 पिता नारायण सिंह भूरीबाई पुत्री नारायणसिंह 1/4 मीणा सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
45/2	0.210
46/2	0.070
56/2	0.310

PTO



103/2	0.085
194/2	0.035
कुल 5	0.710 हैक्टेयर

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2026/ 5

दिनांक : 13 / 01 / 2026

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस., सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 71/2025

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- मनोहरसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- रतनसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- सुरेशसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- हिम्मतसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- गीताबाई पुत्री स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- खेमणीबाई पत्नी चतरभुज मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी

—वादीगण

बनाम

- 1- अर्जुनसिंह पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- केसरसिंह पुत्र नाराणसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- गोतमसिंह पुत्र नाराण मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- चान्दीबाई पत्नी डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- प्रेमसिंह पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भेरूसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- भीमसिंह पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 8- शंकर पुत्र डालुसिंह मीणा निवासी अणदों का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 9- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा अणदों का खेड़ा पटवार हल्का बड़वल की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- मनोहरसिंह पिता शंकरसिंह 1/12 रतनसिंह, शंकरसिंह 1/12 सुरेशसिंह, शंकरसिंह 1/12 हिम्मतसिंह पिता शंकरसिंह 1/12 गीताबाई, शंकरसिंह 1/12 लक्ष्मीबाई, शंकरसिंह 1/12 खेमणीबाई पत्नी चतरभूज 1/2 मीणा) सा. देह. खातेदार रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा
52	0.220
45/1	0.210
46/1	0.070
56/1	0.090
103/1	0.085
194/1	0.035

कुल 6 0.710 हैक्टेयर

- 2- अर्जुनसिंह 1/24 प्रेमसिंह 1/24 भीमसिंह 1/24 शंकरसिंह 1/24 पिता डालूसिंह भेरूसिंह पिता डालूसिंह 1/24 चान्दीबाई पत्नी डालूसिंह 1/24 केसरसिंह 1/4 गोतमसिंह 1/4 पिता नारायण सिंह भूरीबाई पुत्री नारायणसिंह 1/4 मीणा सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
45/2	0.210
46/2	0.070
56/2	0.310

PTO



103/2	0.085
194/2	0.035
कुल 5	0.710 हैक्टेयर

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
बडीसादडी